संख्या–5362 /III(2)/21-75(सामान्य)2000TC

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 09 नवम्बर, 2021

विषय– लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कार्यों के सम्पादन, अनुबन्ध गठित होने से कार्यों को पूर्ण करने आदि, हेतु समयावधि निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या-1197/III(2)/07-75(सामान्य)/2000 दिनांक 24 फरवरी, 2014 द्वारा लोक निर्माण विभाग में कार्यों के समयबद्ध सम्पादन एवं गुणवत्ता नियन्त्रण हेतु निविदा प्रणाली में कतिपय प्राविधान किये गये हैं। विभागान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों, उनकी अधिकतम तय सीमा, निविदा हेतु समयावधि निर्धारण/समय सारणी आदि बिन्दुओं के सम्बन्ध में निम्नानुसार प्राविधान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) निविदाओं के प्रकार एवं निविदाओं हेतु समय सारिणीः–

(i) रू. दो लाख स्वीकृत लागत से कम कार्य अथवा अपरिहार्य परिस्थिति के कार्य।
(ii) रू. दो लाख स्वीकृत लागत से अधिक तथा रू. 25.00 लाख लागत के कार्य।
(iii) Online Tender (E-Tender) रू. 25.00 लाख से अधिक तथा रू. 150 लाख लागत के कार्य।
(iv) E-Tendering & Two Bid System रू. 150 लाख से अधिक लागत के कार्य।

क्र. सं.	मद	अल्प कालीन निविदा (दिवस/कुल दिवस)	2 लाख तक स्वीकृत लागत के कार्य (दिवस/कुल दिवस)	25 लाख तक लागत के कार्य (दिवस/कुल दिवस)	25 लाख से अधिक तथा 150 लाख तक लागत के कार्य (दिवस/कुल दिवस)	150 लाख से अधिक लागत के कार्य।	
						सामान्य (दिवस/कुल दिवस)	EPC (दिवस/कुल दिवस)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कार्य स्वीकृति के उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करना	2/2	5/5	10/10	20/20	30/30	30/30
2	तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त बिड डॉक्यूमेन्ट तैयार करना	1/3	3/8	5/15	10/30	15/45	30/60
3	निविदा आमंत्रित करने की सूचना प्रकाशन हेतु सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग को भेजना	NA	NA	7/22	7/37	7/52	7/67

4	निविदा बेचने की अंतिम तिथि प्री बिड मीटिंग Issue of Correction/ Classification	7/10	7/15	15/37	15/52	15/67	15/82
5	निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	7/17	7/22	15/52	15/67	20/87	20/102
6	टैक्निकल बिड़ को खोलना	NA	NA	NA	NA	1/88	1/103
7	बिड़ का तकनीकी मूल्यांकन	NA	NA	NA	NA	15/103	15/118
8	तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदन उपरान्त तकनीकी मूल्यांकन आख्या को अपलोड करना	NA	NA	NA	NA	3/106	3/121
9	प्राइस बिड को खोलना	1/18	1/23	1/53	1/68	1/107	1/122
10	न्यूनतम निविदादाता की प्राइस बिड स्वीकृत करना/ स्वीकृत पत्र अपलोड करना	2/20	2/25	3/56	3/71	3/110	3/125
11	अनुबन्ध गठन हेतु आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने हेतु	7/35	7/40	7/63	15/86	15/125	15/140
12	अनुबन्ध से सफल बिडर द्वारा हस्ताक्षर करना तथा अनुबन्ध पंजीकृत करना	2/37	2/42	3/66	5/91	15/140	15/155
13	**कुल दिवस**	**37**	**42**	**66**	**91**	**140**	**155**

* उपरोक्त दिवस का तात्पर्य कार्य दिवस है।

(2) कार्य को पूर्ण करने की अवधि निर्धारित करने हेतु समय सारिणीः–

क्र. सं.	कार्य	कार्य की लागत	अवधि	
			चमोली, बागेश्वर, चम्पावत, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग, पौड़ी, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, टिहरी, नैनीताल	ऊधमसिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार
1	2	3	4	5
1	मार्ग कार्य	2.00 लाख तक स्वीकृत लागत/अपरिहार्य कार्य	3 माह	2 माह
		25 लाख तक लागत के कार्य	9 माह	6 माह
		25 लाख से 150 लाख लागत के कार्य	12 माह	9 माह
		150 लाख से 300 लाख लागत	15माह	12 माह

n

		के कार्य		
		300 लाख से अधिक लागत के कार्य।	18 माह	15 माह
2	सेतु कार्य	2.00 लाख तक स्वीकृत लागत/अपरिहार्य कार्य	3 माह	2 माह
		25 लाख तक लागत के कार्य	9 माह	6 माह
		25 लाख से 150 लाख लागत के कार्य	12 माह	9 माह
		150 लाख से 300 लाख लागत के कार्य	15 माह	12 माह
		300 लाख से अधिक लागत के कार्य।	18 माह	15 माह

उपरोक्त समयसीमा–सामान्य कार्यों हेतु आंकलित की गयी है। विशेष परिस्थिति में कार्य के लिये Project Management Software से आंकलित कर वास्तविक समय सीमा निर्धारित की जा सकती है। उपरोक्त अवधि में सामान्य वर्षा ऋतु एवं सामान्य शरद ऋतु को सम्मिलित किया गया है।

(3) शासनादेश संख्या-1197/III(2)/07-75(सामान्य)/2000 दिनांक 24 फरवरी, 2014 द्वारा पूर्व शासनादेश संख्या-2611/III(2)/07-75(सामान्य)/2000 दिनांक 26 अक्टूबर, 2007 में संशोधन किया गया है, जिसके माध्यम से रू0 1.50 करोड़ से अधिक लागत के कार्यों हेतु E-Tendering & Two Bid System के अनुसार कार्यवाही किये जाने के कारण शासनादेश दिनांक 24.02.2014 के पश्चात् तकनीकी अधिकारियों की अधिकारिता सीमा में परिवर्तन हो चुका है, अतः बिन्दु संख्या 4.2 एवं 5 में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है :–

शा.सं.- 2611/III(2)/07-75(सामान्य)/2000 दिनांक 26.10.2007 का वर्तमान प्राविधान (बिन्दु संख्या 4.2)	**नवीन प्राविधान**
(क) अधिशासी अभियन्ता की अधिकारिता की सीमा तक (अर्थात रू0 40 लाख की सीमा तक) की निविदाओं हेतु निविदायें संबंधित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में निविदा खोलने हेतु गठित निम्न समिति द्वारा खोली जायेंगी:– 1. सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता–अध्यक्ष/संयोजक 2. सम्बन्धित खण्ड के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नामित वृत्त के किसी अन्य खण्ड का अधिशासी अभियन्ता–सदस्य 3. अधिशासी अभियन्ता द्वारा नामित सम्बन्धित खण्ड के सहायक अभियन्ता–सदस्य	(क) रू0 25.00 लाख से अधिक तथा अधिशासी अभियन्ता की अधिकारिता की सीमा तक (अर्थात रू0 150.00 लाख तक) की ई–निविदाओं हेतु निविदायें सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में निविदा खोलने हेतु गठित निम्न समिति द्वारा खोली जायेगी:– **1. सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता–अध्यक्ष/संयोजक** **2. सम्बन्धित खण्ड के सम्बन्धित सहायक अभियन्ता–सदस्य** **3. खण्ड के अन्य सहायक अभियन्ता (अधिशासी अभियन्ता द्वारा नामित सहायक अभियन्ता)–सदस्य** **(नोटः–** ई–टेन्डरिंग के कारण अन्य खण्डों के अभियन्ताओं की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।)
(ख) उच्च निविदायें अर्थात अधिशासी	(ख) उच्च निविदायें अर्थात अधिशासी

अभियन्ता की अधिकारिता की सीमा (रू0 40 लाख से अधिक) से अधिक की निविदाओं हेतु निविदायें सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय में निविदा खोलने हेतु सक्षम समिति द्वारा खोली जायेगीः– 1. सम्बन्धित वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता–अध्यक्ष 2. सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता–सदस्य / संयोजक 3. अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नामित सम्बन्धित वृत्त के किसी अन्य खण्ड के अधिशासी अभियन्ता–सदस्य	अभियन्ता की अधिकारिता की सीमा (रू0 150.00 लाख से अधिक) से अधिक की निविदाओं हेतु निविदायें सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय में निविदा खोलने हेतु सक्षम समिति द्वारा खोली जायेगीः– **1. सम्बन्धित वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता–अध्यक्ष** **2. सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता–सदस्य / संयोजक** **3. अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नामित सम्बन्धित वृत्त के किसी अन्य खण्ड के अधिशासी अभियन्ता–सदस्य**
(ग) पूर्व में कोई आदेश नहीं।	**(ग)** रू. 25 लाख से कम धनराशि की निविदाओं हेतु निविदायें सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में निविदा खोलने हेतु गठित निम्न समिति द्वारा खोली जायेगीः– 1. सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता–अध्यक्ष / संयोजक 2. अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नामित वृत्त के किसी अन्य खण्ड के अधिशासी अभियन्ता–सदस्य 3. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता–सदस्य **(नोटः–** 25 लाख से कम धनराशि की निविदाओं खोलने में गठित समिति में पारदर्शिता रखने के उद्‌देश्य से अन्य खण्डों के अभियन्ता सम्मिलित किये गये हैं।)

(4) शासनादेश संख्या- 2611/III(2)/07-75(सामान्य)/2000 दिनांक 26 अक्टूबर, 2007 बिन्दु संख्या– 5 में वर्तमान प्राविधान– तालिका (i) के स्थान पर **संशोधित नवीन प्राविधान तालिका (ii) में वर्णित प्राविधानानुसार** निम्नवत् परिवर्तन किया जाता हैः–

तालिका (i)

क्र0 सं0	अधिकार के प्रकार	जिसके द्वारा प्रयोग किया जायेगा	परिसीमाएँ	टेण्डर एडवाइजरी समितियाँ
1	2	3	4	5
1	किसी स्वीकृत निर्माण कार्य के अथवा उसके किसी एक भाग के निष्पादन के लिए टेण्डर (निविदा) स्वीकृत करना	1. मुख्य अभियन्ता स्तर–2 लो.नि.वि.	पूर्ण अधिकार	1. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता स्तर–2 अध्यक्ष 2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता –सदस्य 3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता –सदस्य
		2. अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0	रू0 1.00 करोड़ की सीमा तक	1. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता–अध्यक्ष 2. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता –सदस्य 3. सम्बन्धित वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नामित वृत्त का एक अन्य अधिशासी अभियन्ता –सदस्य
		3. अधिशासी अभियन्ता	रू0 40 लाख की सीमा तक	1. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता –अध्यक्ष 2. सम्बन्धित वृत्त अधीक्षण अभियन्ता द्वारा वृत्त का एक अन्य नामित अधिशासी अभियन्ता–सदस्य

				3. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता –सदस्य

तालिका (ii) नवीन प्राविधान

क्र0 सं0	अधिकार के प्रकार	जिसके द्वारा प्रयोग किया जायेगा	परिसीमाएँ	टेण्डर एडवाइजरी समितियाँ
1	2	3	4	5
1	किसी स्वीकृत निर्माण कार्य के अथवा उसके किसी एक भाग के निष्पादन के लिए टेण्डर (निविदा) स्वीकृत करना	1. मुख्य अभियन्ता स्तर–2लो.नि.वि.	पूर्ण अधिकार	1. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता स्तर–2 अध्यक्ष 2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता–सदस्य 3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता–सदस्य
		2. अधीक्षण अभियन्ता, लो.नि.वि.	अधीक्षण अभियन्ता की अधिकारिता की सीमा तक (वर्तमान सीमा रू0 3.00 करोड़)	1. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता–अध्यक्ष 2. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता–सदस्य 3. संम्बन्धित वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नामित वृत्त का एक अन्य अधिशासी अभियन्ता–सदस्य
		3. अधिशासी अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता की अधिकारिता की सीमा तक (वर्तमान सीमा रू0 150 लाख)	1. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता–अध्यक्ष 2. सम्बन्धित वृत्त अधीक्षण अभियन्ता द्वारा वृत्त का एक अन्य नामित अधिशासी अभियन्ता–सदस्य 3. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता–सदस्य

(5) शासनादेश संख्या- 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2008 के आलोक में शासनादेश के विवरण पत्र–3 में निम्न **प्राविधानानुसार परिवर्तन/संशोधन** किया जाता है:–

क्र. सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जायेगा।	वर्तमान परिसीमायें	नवीन परिसीमायें
1	2	3	4	5
3	निर्माण कार्यों के ब्यौरेवार अनुमानों/अनुपूरक अनुमानों/पुनरीक्षित अनुमानों की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करना।	1– मुख्य अभियन्ता, लो.नि. विभाग/ सिंचाई विभाग/ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई विभाग।	1– पूर्ण अधिकार	1– पूर्ण अधिकार
		2– अधीक्षण अभियन्ता, (सिविल) लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई	2– रू0 2.50 करोड़ (रू0 दो करोड़ पचास लाख) की सीमा तक।	2– रू0 3.00 करोड़ (रू0 तीन करोड़) की सीमा तक।

		विभाग / ग्रामीण निर्माण विभाग / लघु सिंचाई विभाग।		
		3— अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक लो.नि. वि., सिंचांई, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग।	3— रू0 40,00,000 (रू. चालीस लाख) की सीमा तक।	3— रू0 1.50 करोड़ (रू0 एक करोड़ पचास लाख) की सीमा तक।
		4— अधिशासी अभियन्ता, (सिविल) व कार्य अधीक्षक लो.नि. विभाग / सिंचाई विभाग / ग्रामीण निर्माण विभाग / लघु सिंचाई विभाग।	4— रू0 1 करोड़ (रू0 एक करोड़) की सीमा तक।	4— रू0 1.50 करोड़ (रू0 एक करोड़ पचास लाख) की सीमा तक।
		5— अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक लो.नि. वि., सिंचाई, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग।	5— रू0 8,00,000 (रू. आठ लाख) की सीमा तक।	5— रू0 20,00,000 (रू. बीस लाख) की सीमा तक।

(चूंकि विद्युत एवं यांत्रिक के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता का पद स्वीकृत नहीं है, अतः अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक की परिसीमायें बढ़ाई गयी हैं)

(6) साधारण मरम्मत

क्र. सं.	अधिकार का प्रकार	परिसीमायें
1	2	3
1	साधारण मरम्मत	1— शासनादेश संख्या- 293/XXVII(7)36/2010-11 दिनांक 09. 10.2020 द्वारा जारी वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन सामान्य मरम्मत हेतु भी लागू होगा।
		2— सामान्य मरम्मत के कार्यों की तकनीकी स्वीकृति उक्त बिन्दु संख्या—5 की तालिका में वर्णित प्राविधानानुसार ही लागू होगी।

(7) निक्षेप कार्य

क्र. सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जायेगा	वर्तमान परिसीमायें	नवीन प्राविधान
1	2	3	4	5
1	समस्त प्रकार के निक्षेप कार्य के निष्पादन की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करना।	1— मुख्य अभियन्ता।	—	1— पूर्ण अधिकार

(8) Standard Bid Document के "Evaluation" में निम्न तालिका के कॉलम–3 में वर्णित प्राविधानानुसार परिवर्तन/संशोधन किया जाता है–

क्र. सं.	वर्तमान प्राविधान	नवीन प्राविधान
1	2	3
	Evaluation	**Evaluation**
1.1	**Adequacy of Technical Proposal**	**Adequacy of Technical Proposal**
	Evaluation of the Bidders Technical Proposal will include an assement of the Bidder's Technical Capacity to mobilize key equipments and personnel for the contract consistent with its proposal regarding work methods, scheduling and material sourcing in sufficient detail and fully in accordance with the requirements stipulated in Section 5 (Employer's Requirements) Non-Compliance with equipments and personnal requirements described in Section 5 (Employer's Requirements) shall not be grounds for bid rejections and such non-compliance will be subject to clarification and rectification prior to contract award.	Evaluation of the Bidders Technical Proposal will include an assement of the Bidder's Technical Capacity to mobilize key equipments and personnel for the contract consistent with its proposal regarding work methods, scheduling and material sourcing in sufficient detail and fully in accordance with the requirements stipulated in Section 5 (Employer's Requirements) Non-Compliance with equipments and personnal requirements described in Section 5 (Employer's Requirements) shall not be grounds for bid rejections and such non-compliance will be subject to clarification and rectification prior to contract award. **The cause & reason for accepting the Tender & rejection should be the part of Technical Bid.**

(9) यदि निर्माण कार्य में **Hill Side Cutting** का प्राविधान किया गया है तो **"Special Conditions for Construction of Hill Roads"** को **Standard Bid Document** का **Part** बनाया जाये। यदि निविदा **Two Bid System** के अन्तर्गत नहीं है तो **GPW–9** के साथ **"Special Conditions for Construction of Hill Roads"** को अनिवार्य रूप से निविदा का **Part** बनाया जाये।"

(10) शासनादेश संख्या- 120/III(2)-2014/20(सामान्य)/2011 दिनांक 08 जनवरी, 204 द्वारा GPW–9 के Clause 13.5 में निम्नानुसार परिवर्तन/संशोधन किया जाता है :–

क्र. सं.	वर्तमान प्राविधान	नवीन प्राविधान
1	2	3
	If the rates of the additional, altered or substituted work can not be determined in the manner specified in sub clause 13.1 to 13.4 above, then the contractor shall within 7 days of the date of receipt of the order to carry out the work inform the officer accepting the contract on behalf of the Government of the rate which is his intension to charge for such class of work, supported by	If the rates of the additional, altered or substituted work can not be determined in the manner specified in sub clause 13.1 to 13.4 above, then the contractor shall within 7 days of the date of receipt of the order to carry out the work inform the officer accepting the contract on behalf of the Government of the rate which is his intension to charge for such class of work, supported by analysis of the rates claimed and the Superintending Engineer shall determine the rate or rates on

	analysis of the rates claimed and the Superintending Engineer shall determine the rate or rates on the basis of the prevailing market rated and pay the contractor accordingly. However the officer accepting, the contract on behalf of the Government by notice, in writing will be at liberty to cancel his order to carry out such class of the work and arrange to carry it out in such manner as he may conside advisable. But under no circumstances, the contractor, shall suspend the work on the plea of non settlement of rated of items, failing under this clauses:- The quantities for the additional, altered or substituted work and the rates thereof under sub-clause (1) to (3) shall be worked out by the officer accepting the contract on behalf of the Government and shall be approved by the officer next higher to the officer accepting the contract.	the basis of the prevailing market rated and pay the contractor accordingly. However the officer accepting, the contract on behalf of the Government by notice, in writing will be at liberty to cancel his order to carry out such class of the work and arrange to carry it out in such manner as he may conside advisable. But under no circumstances, the contractor, shall suspend the work on the plea of non settlement of rated of items, failing under this clauses:- The quantities for the additional, altered or substituted work and the rates thereof under sub-clause (1) to (3) shall be worked out by the officer accepting the contract on behalf of the Government and shall be approved by the officer next higher to the officer accepting the contract. **The Tentative/Final Variation should be prepare below 20% and above 20% according to quantities provided in contract below 20% variation shall be approved by the officer accepting the contract and above 20% variation shall be approved by the officer next higher to the officer accepting the contract.**

2— उक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे। विषयगत पूर्व निर्गत शासनादेशों के संगत प्राविधान उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे और उनमें निहित अन्य/शेष प्राविधान पूर्ववत् लागू रहेंगे। अतः कृपया उपरोक्त संशोधनों को समस्त अधीनस्थ अधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित करायें।

3— **यह आदेश वित्त अनुभाग के शासनादेश संख्या- 843/XXVII(7)/2021 दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
प्रमुख सचिव।

संख्या- (1)/III(2)/21-75(सामान्य)2000TC तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
5. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
6. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., उत्तराखण्ड।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो.नि.वि., उत्तराखण्ड।
10. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।

12. लोक निर्माण अनुभाग–1/3, वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
13. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

कार्यालय
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

पत्रांक:- 1333 /24 सा० प्र०/2021 दिनांक 18/11/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता लो० नि० वि० उत्तराखण्ड।
2- समस्त अधीक्षण अभियन्ता लो० नि० वि० उत्तराखण्ड।
3- वरिष्ठ प्रशासनिक/प्रशासनिक, नियो-I/II/III विभागाध्यक्ष लो० नि० वि० देहरादून।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी